online
2018/0613

62/2018

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / राजस्व / 2018 / 7618   दिनांक ~~02.08.2018~~ 16.10.2018

तहसीलदार

श्रीमाधोपुर।

आदेश

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015-16 के परिप्रेक्ष्य राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र प. 3 (2) राज-6/ 2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619-44 दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 4328-53/ राजस्व /2016 दिनांक 02.11.2016 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1407/राजस्व/2018 दिनांक 30.07.2018 के द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया है। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रस्ताव रास्ता प्रचलित एवं पुराना है तथा वर्तमान में मौके पर प्रचलित रास्ता चालू है। प्रचलित रास्ता मौके पर श्रीमाधोपुर-रींगस रोड़ से शुरू होकर ढ़ाणी पाठयावाली, गोपाकावाली, सुरावालों की ढ़ाणी, ढ़ाणी सुतल्यावाली से होता हुआ अजीतगढ़-जालपाली-श्रीमाधोपुर रोड़ को जोड़ता है। जो मौके पर आम रास्ता के रूप में सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रक्बा रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने बाबत अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 की प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न सूची व नक्शा ट्रेस में अकिंत/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को संलग्न प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये जाते है कि निम्न खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। गै.मु. रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावें एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे।

नोटः- उक्त आदेश में अंकित खसरा नम्बरान् में से किसी खसरा नम्बर पर यदि किसी न्यायालय/सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी हो तो उस खसरा नम्बरान् का स्थगन आदेश के निर्णय उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावें।

क्र. स.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा न.	रकबा	रकबा जो रास्ते में काम आ रहा है।
1.	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	2190	1.39 हैक्टर बारानी 1	0.06 हैक्टर
2.	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	2189	2.45 हैक्टर बारानी 1	0.0650 हैक्टर
3.	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	2205	1.18 हैक्टर बारानी 2	0.0650 हैक्टर
4.	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	2191	1.03 हैक्टर बारानी 2	0.0650 हैक्टर
5.	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	2204	0.54 हैक्टर बारानी 2	0.1060 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner